सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

प्रेस परिषद समीक्षा

त्रैमासिक पत्रिका

जनवरी–मार्च 2022
अप्रैल–जून 2022

भारतीय प्रेस परिषद
नई दिल्ली

प्रेस परिषद समीक्षा

(1 जनवरी 2022 – 31 मार्च 2022)

(1 अप्रैल 2022 – 30 जून 2022)

त्रैमासिक पत्रिका

वर्ष 24 **अप्रैल-जुलाई, 2022** **अंक 2-3**

भारतीय प्रेस परिषद के संबंध में

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण एवं प्रेस के स्तरों को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के दोहरे उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का पहली बार गठन किया गया। परिषद, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, प्रेस के लिए तथा प्रेस के हितप्रहरी के रूप में कार्य करती है। यह क्रमश: प्रेस की स्वतंत्रता अथवा नीति के उल्लंघन पर प्रेस द्वारा और प्रेस के विरूद्ध शिकायतों पर निर्णय देती है।

प्रेस परिषद के अध्यक्ष परिपाटी के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों में से होते हैं और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक व विधि क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवावधि तीन वर्ष की होती है।

शिकायत दर्ज करने हेतु प्रक्रिया

प्रेस के विरूद्ध शिकायत

कोई भी व्यक्ति, किसी समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के विरूद्ध पत्रकारिता आचरण और रूचि के मान्य नैतिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए प्रेस परिषद में शिकायत दर्ज कर सकता है। आम जनता में से कोई भी व्यक्ति, संपादक, श्रमजीवी पत्रकार, समाचारपत्रों के कर्मचारी अथवा स्वतंत्र पत्रकार के व्यावसायिक कदाचार के विरूद्ध भी शिकायत कर सकता है।

प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम 1979 के अनुसार, निम्नलिखित अवधि के भीतर परिषद के सम्मुख शिकायत दर्ज की जाएगी:

(i) दैनिक समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां और साप्ताहिक समाचारपत्र दो माह के भीतर

(ii) अन्य मामलों में चार माह के भीतर

बशर्ते पूर्व तिथि के संबद्ध प्रकाशन का शिकायत में हवाला दिया जाये।

सबसे पहले संपादक को लिखें

शिकायतकर्ता, जिस समाचार को जनता की रूचि के विरूद्ध अपराध अथवा पत्रकारिता नीति का उल्लंघन समझते हैं, उसकी ओर समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका के संपादक का ध्यानाकृष्ट करते हुए जांच विनियमों के अंतर्गत सबसे पहले उन्हें लिखना ज़रूरी है। ऐसे पूर्व संदर्भ से संपादक

को पहली बार में मामले से निबटने का मौका दिया जाता है और इस प्रकार, परिषद को शिकायत भेजे जाने से पहले प्रतिवादी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित अवसर भी दिया जाता है। यह विचार करने की बात है कि कुछ मामलों में शिकायतकर्ता को गलत सूचना मिली हो या तथ्यों का गलत अर्थ निकाला गया हो। दूसरी तरफ यह अनजाने में हुई गलती का भी मामला हो सकता है जिसे संपादक स्वीकार करने और संशोधित करने के लिए तैयार हो।

जहां समाचारपत्र/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं का ध्यानाकृष्ट करने के पश्चात्, कोई व्यक्ति शिकायत को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता है, तो उसे संपादक के साथ हुए पत्र व्यवहार की प्रतियां भी शिकायत के साथ संलग्न करनी चाहिए। यदि संपादक की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न हुआ हो, तो शिकायत में इसका उल्लेख करना चाहिए।

शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत में उन समाचारपत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं के संपादक अथवा पत्रकार का नाम तथा पता लिखना चाहिए जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो। वह मामला अथवा समाचार जिनकी शिकायत की गई हो, की मूल कतरन अथवा स्व-अनुप्रमाणित प्रति (अंग्रेज़ी अनुवाद, यदि समाचार देशी भाषा में है) शिकायत के साथ भेजी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखना चाहिए कि समाचार या पैराग्राफ या वह सामग्री जिसकी शिकायत की गई है, किस प्रकार आपत्तिजनक है। उनके पास यदि इस विषय में कोई अन्य विवरण हो, तो उसे भी भेजना चाहिए। किसी सामग्री को प्रकाशित न किए जाने की शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को यह बताना होगा कि इससे किस प्रकार पत्रकारिता नीति का उल्लंघन हुआ है।

परिषद किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में न्यायाधीन हो। शिकायतकर्ता को घोषणा करनी होगी कि "अपनी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, उन्होंने परिषद के सामने सभी संबद्ध तथ्य रख दिए हैं तथा शिकायत में कथित किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई लंबित नहीं है।" एक अन्य घोषणा करना भी ज़रूरी है कि - "परिषद द्वारा जांच के दौरान यदि शिकायत में कथित मामला न्यायालय की कार्यवाही का विषय बन जाता है, तो वे इसकी सूचना तुरंत परिषद को देंगे।"

प्रेस की स्वतंत्रता के दमन संबंधी शिकायतें

समाचारपत्र/समाचार एजेंसी/पत्रिका, पत्रकार या कोई भी संस्थान या व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली में दखल देने, प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने अथवा अतिक्रमण के लिए केंद्र या राज्य सरकार या किसी संगठन या व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकता है। ऐसी शिकायतों में कथित उल्लंघन का पूरा विवरण होना चाहिए जिस पर परिषद ऊपर दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार

कार्य करेगी। परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचार दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं (i) यह नहीं हो सकता कि प्रेस की स्वतंत्रता के दुरूपयोग पर कोई ध्यान न दे अथवा उसका विरोध न करे और (ii) प्रेस को स्वयं अपने हित में अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक लेख प्रकाशित नहीं करने चाहिए यानि ऐसे लेख जोकि प्रेस में से ही गठित निष्पक्ष निर्णायक द्वारा पत्रकारिता नीति के मान्य स्तरों से निम्न स्तर के माने गए हैं क्योंकि इससे प्रेस की अत्यधिक बहुमूल्य स्वतंत्रता में ही कटौती होगी।

अपनी शिकायतें अथवा पूछताछ निम्नलिखित पते पर करें :-

सचिव,
भारतीय प्रेस परिषद,
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोन : 011-24366404/05 (एक्स. 116 ,111 और 315)
फैक्स : 24368725
ई-मेल : secy-pci@nic.in, so.complaints-pci@gov.in,
so.meetings-pci@gov.in
वैबसाइट : www.presscouncil.nic.in

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अध्यक्ष: न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जन मोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
रिक्त **	-	-
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप-धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आज काल, बंग्ला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाददाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंग्ला दैनिक, पश्चिम बंगाल

* राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 17.06.2021 के जरिये अधिसूचित

** श्री विनोद के. जोस को राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 06.10.2021 के जरिये परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। श्री जोस ने 23.10.2021 को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 (5) के अनुसरण में 25.10.2021 को स्वीकार कर लिया गया था।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंग्ला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट,ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, महाराष्ट्र
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस-एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
	बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंध {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}	
रिक्त*	-	-
रिक्त*	-	-
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र फेडरेशन और छोटे-मध्यम-बड़े समाचारपत्र सोसायटी	भारतीय पर्यवेक्षक, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचारपत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचारपत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचारपत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश

* उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन यानी दी इंडियन न्यूजपेपर्स सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 (4) के तहत नामों का पैनल दाखिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हुईं।

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}		
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}		
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
श्री शैलेंद्र दुबे	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}		
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
रिक्त*	लोक सभा	
डॉ. के. केशव राव	राज्य सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	

सचिव : श्री नंगसंग्लेम्बा आओ

* इस श्रेणी में नामांकन प्रतीक्षित है।

विषय सूची

	प्राक्कथन	1
	संक्षिप्त विवरण	3
1.	पत्रकारिता जगत से	5
2.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर रिपोर्ट	10
3.	स्वच्छता पखवाड़ा रिपोर्ट, 2022 पर रिपोर्ट	11
4.	विश्व रक्तदाता दिवस, 2022 पर रिपोर्ट	15
5.	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 पर रिपोर्ट	16
6.	राजपत्र अधिसूचना दिनांक 17.06.2022, जिसमें न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित किया गया है।	18
7.	तिमाही के दौरान परिषद द्वारा जारी की गयी प्रेस विज्ञप्तियों का संग्रह	19

प्राक्कथन

प्रेस परिषद समीक्षा, त्रैमासिक पत्रिका, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण और प्रेस के स्तर में सुधार के उद्देश्य से परिषद को प्राप्त अधिदेश का पालन करते हुए परिषद द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों एवं कार्यकलापों को एक साथ प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट, मीडिया की कार्यप्रणाली में सुधार और भावी प्रयासों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए परिषद द्वारा किए जा रहे अर्ध-न्यायिक और परामर्शीय क्रियाकलापों का प्रतिबिंब है।

यह 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 और 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 की अवधि का संयुक्त अंक है। तिमाही 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022, के दौरान, राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 17.06.2022 के जरिये, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उप धारा 5 के अनुसरण में, भारत के उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई का नामनिर्देशन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया।

प्रेस परिषद समीक्षा अप्रैल/जुलाई संयुक्त अंक में परिषद के न्यायनिर्णय शामिल नहीं हैं, क्योंकि तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद का कार्यकाल 21.11.2021 को समाप्त होने के कारण इस अवधि के दौरान परिषद की बैठकें नहीं हुई थीं।

1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 की तिमाही के दौरान, परिषद में कुल 355 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 71 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर सरकारी प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रेस द्वारा की गयीं थीं और 284 शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन हेतु प्रेस के खिलाफ दर्ज की गईं थीं। तिमाही - 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 के दौरान, परिषद में कुल 242 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 52 शिकायतें प्रेस द्वारा और 190 शिकायतें प्रेस के विरुद्ध थीं।

परिषद में 16 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 तक परिसर में साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा, 2022 मनाया गया। परिषद द्वारा 14 जून, 2022 को विश्व रक्तदाता दिवस और 21 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया।

परिषद में 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी, "जैंडर इक्वैलिटी फॉर ए सस्टेनेबल टुमॉरो"। इस अवसर पर, परिषद की महिला कर्मियों को, यौन उत्पीड़न के खिलाफ विशाखा दिशानिर्देशों से एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम से अवगत कराया गया।

इस प्रकार, भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यह त्रैमासिक पत्रिका सूचनात्मक संदर्भ रिकॉर्ड के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है।

******

संक्षिप्त विवरण

भारतीय प्रेस परिषद की त्रैमासिक पत्रिका का यह संयुक्त अंक (01.01.2022 से 30.06.2022) है। इस अवधि के दौरान, परिषद ने एक ओर, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर संतुलन और सौहार्द को बढ़ावा देने तथा दूसरी ओर, समाचारपत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया।

तिमाही- 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 के दौरान, परिषद में कुल 355 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से, प्रेस द्वारा सरकारी प्राधिकारियों के विरुद्ध 71 शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर की गयीं थीं और 284 शिकायतें पत्रकारिता नीति के उल्लंघन हेतु प्रेस के खिलाफ दर्ज की गईं थीं। तिमाही - 1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 के दौरान, परिषद में कुल 242 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 52 शिकायतें प्रेस द्वारा और 190 शिकायतें प्रेस के विरुद्ध थीं।

परिषद में 16 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसके दौरान पुरानी फाइलों की छंटाई और ई-कचरे के निपटान जैसे विभिन्न कार्यकलाप किए गए।

प्रेस विज्ञप्ति

1. प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 18.01.2022, जिसके माध्यम से मीडिया को, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्यों में विधानसभा चुनाव की कवरेज के संबंध में और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा पेड समाचार से संबन्धित पत्रकारिता के आचरण के मानक-2020 का उल्लंघन न करने का परामर्श दिया गया।
2. प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 21.01.2022, जिसके माध्यम से मीडिया को विधानसभाओं के चुनाव के दौरान पेड समाचार को लेकर पत्रकारिता के आचरण के मानक - 2020 का पालन करने का परामर्श दिया गया।
3. प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 03.02.2022, जिसके माध्यम से मीडिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126ए का उल्लंघन न करने का परामर्श दिया गया।
4. प्रेस विज्ञप्ति दिनांकित 06.04.2022, जिसके माध्यम से प्रिंट मीडिया को, डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 37/2022 के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निदेश का पालन करने का परामर्श दिया गया।

सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

भारतीय प्रेस परिषद के सचिव, कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद का सतर्कता तंत्र, जिसमें उप सचिव और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, ने सचिव (सीवीओ) और परिषद के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में कार्य किया । इसने सचिवालय में किसी भी प्रकार के अनैतिक कृत्य को रोकने और उनका मुक़ाबला करने के लिए नियमित और आकस्मिक जांच कीं।

महिला सशक्तिकरण

परिषद में 8 मार्च, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी "जैंडर इक्वैलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमॉरो"। इस अवसर पर निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

स्वास्थ्य और फिटनेस

परिषद में 21 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षण सत्र व निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

परिषद में 14 जून, 2022 को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसके दौरान कर्मचारियों ने नियमित रूप से रक्तदान करने का संकल्प लिया और रक्तदान के महत्व को दर्शाने वाले पैम्फलेट वितरित किए गए।

पत्रकारिता जगत से

तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करें पत्रकारः श्री दत्तात्रेय

हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने पत्रकारों का आहवान किया कि पत्रकार न्यूज में अपने व्यूज़ शामिल न कर तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करें। राज्यपाल रविवार को पंचकूला में हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा आयोजित पत्रकारिता गौरव पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों को समावेशी सोच के साथ आपस में संगठित होना है और एक पेशेवर के रूप में एक दूसरे के हितों के लिए भी काम करना है। इससे सरकार व प्रशासनिक व्यवस्था में लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीड़िया के प्रति संवदेनशीलता बढ़ेगी। पत्रकार निर्भीक होकर पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करें तभी सरकारें अच्छे ढंग से कार्य कर सकेंगी।

राज्यपाल ने कहा कि इस युग में पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में उभरा है। इस दौर में मीडिया मानवीय और नैतिक मूल्यों का भौतिकता से संतुलन बनाते हुए अपना कार्य करें।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली
03/01/2022

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर, सरकार बोली–हम आपातकाल में नहीं

केंद्र सरकार ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर वह गंभीर है और देश आपातकाल या 1975 के दौर में नहीं है। सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री एल. मुरुगन ने गुरुवार को राज्यसभा में प्रंश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने 160 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पेजों पर 60 चैनलों को भी ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उनकी सामग्री राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ थी। 'मीडिया वन' चैनल के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर मुरुगन ने कहा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चैनलों को जो भी अनुमतियां दी जा रही है, वे गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद दी जा रही हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने लिखित जवाब में कहा कि प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित सभी कार्यक्रमों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार उन मामलों में निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करती है जिनमें कार्यक्रम संहिता का उल्लंधन पाया जाता है। ठाकुर ने कहा, प्रिंट मीडिया के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस की स्वतंत्रता कायम रखने, समाचार पत्रों व समाचार एजेसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार के दोहरे उद्देश्य के साथ कार्य करती है।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
04/02/2022

123 पत्रकारों के परिवारों को 6.15 करोड़ की मदद: केंद्र

सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को 6.15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष अभियान चलाया था।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुल 123 प्रस्ताव मिले थे और उन सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। ऐसे पत्रकारों के परिवारों को 6.15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए विशेष अभियान चलाया था। ठाकुर ने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय को मिले आवेदनों के आधार पर और पत्रकार कल्याण योजना के तहत मानदंड पूरा करने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को 2020–21 और 2021–22 के दौरान प्रति परिवार पांच लाख रुपए की दर से 6.15 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई है।

उन्होंने कहा कि 2017 से 247 मामलों में पत्रकार कल्याण स्कीम (जेडब्लूएस) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

जनसत्ता
नई दिल्ली
11/02/2022

मीड़िया कारोबार के सौ अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान

देश का मीड़िया और मनोरंजन उद्योग दुनिया में तेजी से बढ़ने वाले उद्योगों में से एक है और 2030 तक इसके 100 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने शुक्रवार को दुबई एक्सपो में भारतीय मंडप का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। देश का मीडिया और मनोरंजन उद्योग फिलहाल 28 अरब डॉलर का है। उन्होंने कहा कि देश में उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रतिभा और रचनात्मक कौशल है।

चंद्रा ने 'एनिमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिग और कॉमिक्स' (एवीजीसी) सामग्री तैयार करने के लिए भारत के साथ सहयोग पर भारतीय मंडप में आयोजित एक गोलमेज चर्चा में कहा, भारतीय मीड़िया और मनोरंजन उद्योग दुनिया में तेजी से बढ़ने वाले मीड़िया एंव मनोरंजन उद्योग में से एक है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा दिखाई देता है।

उन्होंने कहा, 'भारतीय मीड़िया एवं मनोरंजन उद्योग का मूल्य फिलहाल 28 अरब डॉलर है और इसके 2030 तक 12 फीसद की संचयी वृद्धि के साथ 100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

जनसत्ता
नई दिल्ली
20/03/2022

भारतीय समाचार पत्रों पर भी भारी पड़ रहा रूस और यूक्रेन का यु)

संकट की घड़ी में यूं तो समाचारपत्रों की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन पिछले दो साल में कोरोना और अब रूस–यूक्रेन युद्ध ने भारतीय समाचारत्रों के समक्ष न्यूजप्रिंट का विकट संकट खड़ा कर दिया है। भारतीय अखबारों के लिए रूस से तकरीबन 45 प्रतिशत न्यूजप्रिंट आयात होता है। बदली हुई परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादातर ग्लोबल शिंपिग कंपनियों ने रूसी बदरगाहों से किसी भी तरह की बुकिंग बंद कर दी है। उन बंदरगाहों पर कंटेनरों की बाढ़ सी आ गई है। हालात बद से बदतर होते जा रहें हैं। युद्ध की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के चलते रूसी बैंकों के लिए कारोबार करना आसान नहीं रह गया है। न्यूज़प्रिंट उत्पादन लागत में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतें बहुत बढ़ गईं हैं, जिससे यह उत्पादन के स्तर पर ही महंगा हो गया है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनाड़ा और पोलैंड में भी कागज उत्पादन और सप्लाई बाधित हो रही है। पोलैंड में कागज मिलों में श्रमिक हड़ताल पर हैं। पोलैंड से भारत अपनी जरुरतों का 60 प्रतिशत ग्लासी न्यूज़प्रिंट आयात करता है। जबकि कनाड़ा से 40 प्रतिशत न्यूजप्रिंट आयात होता है। दूसरी ओर घरेलू मिल न्यूज़प्रिंट की जगह पैकेजिंग मैटीरियल्स बनाने लगी हैं। ई–कॉमर्स में पैकेजिंग मैटीरियल्स की मांग तेजी से बढ़ी है। घरेलू स्तर पर कुछ मिलों में ही न्यूजप्रिंट तैयार हो रहा है, लेकिन कोरोना संकट के चलते वे मिलें रिसाइकिल्ड फाइबर की कमी से जूझ रही हैं।

न्यूजप्रिंट सप्लाई की कमी से जूझ रहे समाचारपत्रों के सामने कई तरह के संकट हैं। आयतित न्यूजप्रिंट की कीमतें लगभग दोगुना हो गई हैं।

समाचारपत्रों की लागत में इसके अलावा इंक प्रिंटिग के लिए जरूरी एल्यूमिनियम प्लेट्स समेत अन्य जरूरी इनपुट के साथ ट्रांसपोर्टेशन की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इन गंभीर चुनौतियों के मद्देनज़र केंद्र सरकार से मिलकर न्यूजप्रिंट पर लगाए गए पांच प्रतिशत के सीमा शुल्क को हटाने का आग्रह किया। उनका मानना है कि इससे भी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है।

दैनिक जागरण
कानपुर
20/03/2022

मीडिया के सभी स्वरूप अहमः श्री ब्रजेश पाठक

टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के सभी स्वरूपों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। किसी का भी महत्व किसी से कम नहीं है। यह बात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कही।

उन्होंने कहा कि सभी लोगों को तत्काल सूचना चाहिए। लेकिन किसी के पास उसे पढ़ने के लिए समय नहीं है। उनका कहना था कि प्रिंट में आने वाले संपादकीय, टीवी की

डिबेट और डिजिटल पर बिना किसी बंदिश के विस्तृत लेख या लाइव चर्चा, सभी का अपना अलग महत्व है।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली
29/04/2022

जीवंत, स्वतंत्र प्रेस किसी भी फलते–फूलते लोकतंत्र की आधारशिला है: ब्लिंकन

अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने वर्तमान समय में प्रेस की स्वतंत्रता सहित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मंडरा रहे खतरों को रेखांकित करते हुए कहा कि एक जीवंत एवं स्वतंत्र प्रेस किसी भी फलते–फूलते लोकतंत्र की आधारशिला है।

'वाशिंगटन फॉरेन प्रेस–सेंटर' में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया भर में, सरकारें तथा सरकार से इतर ताकतें जैसे आतंकवादी संगठन, आपराधिक संगठन, पत्रकारों को धमकाते हैं, परेशान करते हैं, उन्हें जेल में डालते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा 'प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए सरकारें दमन के पारंपरिक तरीकों की जगह नई रणनीतियां अपना रही हैं। अधिकतर सरकारें सूचना तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही हैं, सेंसरशिप आदि के जरिए खासकर इंटरनेट पर मौजूद समाचारों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।' उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के कारण पाबंदियों वाले क्षेत्रों से खबर देना और वहां खबरें पहुंचाना मुश्किल हो गया है।

ब्लिंकन ने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल पत्रकारों को रोकने के लिए, बल्कि उन पर नजर रखने के लिए भी किया जा रहा है। एक स्वतंत्र शोध के अनुसार, 2020 से 2021 के बीच, अल सल्वाडोर में 30 से अधिक पत्रकारों, संपादकों और अन्य मीडिया कर्मचारियों के मोबाइल फोन को स्पाइवेयर पेगासस के जरिए हैक किया गया था। ब्लिंकन ने पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता पर बात करते हुए कहा कि मीड़िया और नागरिक संगठनों पर प्रतिबंध पाकिस्तान की छवि के साथ–साथ उसकी प्रगति की क्षमता को भी कमजोर करता है।

जनसत्ता
नई दिल्ली
05/05/2022

अ़खबार के विज्ञापन सबसे विश्वसनीय, सर्वाधिक 82% लोगों का प्रिंट पर भरोसा, लोग डिजिटल एड देखना पसंद नहीं करते

अखबार में छपे विज्ञापनों की विश्वसनीयता सर्वाधिक होती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार–ग्राहक सोशल मीडिया एडवरटाइजिंग की तुलना में आज भी अखंबार, टीवी, रेडियो पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इन सभी माध्यमों में भी अखबार सबसे आगे है। जहां सर्वाधिक 82 फीसदी लोगों ने प्रिंट पर भरोसा जताया है। रिपोर्ट कहती है– यह स्टडी इसलिए

भी चौंकाती है, क्योंकि जहां पिछला दशक डिजिटल मार्केटिग टेक्नोलोजी के नाम रहा। वहीं अब इंटरनेट से अपनी सौ फीसदी सेल करने वाली कंपनियां भी परंपरागत विज्ञापनों (अखंबार, टीवी–. रेडियो) पर अपना खर्च अगले 12 माह में 11.7 फीसदी बढ़ाने वाली हैं। परंपरागत एडवरटाइजिंग पर दोबारा भरोसा जताने की यह प्रमुख वजहें हैं।

दैनिक भास्कर
नई दिल्ली
10/05/2022

भ्रामक विज्ञापनों से रिझाने वालों पर लगाम कसेगी केंद्र सरकार

झूठी वारंटी–गांरटी, वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और सेवाओं को लेकर गलत दावा कर उपभोक्ताओं को रिझाने वाले विज्ञापनों पर सरकार लगाम कसेगी। उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जारी दिशानिर्देश सभी तरह के मीडिया प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर लागू होंगे।

बच्चों को लक्षित कर प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापनों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे छद्म विज्ञापनों पर भी सख्ती बरती जाएगी, जिसमें सोड़ा वॉटर के बहाने शराब का विज्ञापन होता है और इलायची के बहाने गुटखा का उपभोक्ता मंत्रालय में सचिव श्री रोि हत कुमार सिंह ने गाइडलाइन जारी करने के बाद कहा कि विज्ञापनों में उपभोक्ता काफी रूचि लेते हैं। लेकिन भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रावधान केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीसीपीए) में है। सरकार उद्योग जगत के लिए स्पष्ट और जागरूक बनाने के उद्देश्य से निष्पक्ष विज्ञापन का दिशानिर्देश लेकर आई है। एक सवाल के जवाब में सिंह ने बताया कि किसी उत्पाद या सेवा के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी देना, जो उत्पाद से मेल नहीं खाता उसे भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में रखा जाएगा।

सेवा प्रदाता कंपनियों अथवा निर्माताओं को अपने उपभोक्ताओं को सही जानकारी देनी होगी। गलत विज्ञापन और झूठा दावा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ 10 लाख से 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गलत विज्ञापन करने वाली हस्तियों पर एक से तीन वर्ष तक रोक लगाई जा सकती है।

दैनिक जागरण
नई दिल्ली
11/06/2022

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022, 8 मार्च, 2022 को परिषद के सचिवालय में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय था "जैंडर इक्वैलिटी फॉर ए सस्टेनेबल टुमॉरो"। इस अवसर पर, परिषद की महिला कर्मचारियों को, वर्ष 1997 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ जारी किए गए विशाखा दिशानिर्देशों से अवगत कराया गया, जिन्हें 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम के साथ बदल दिया गया। इस अवसर पर, भारतीय प्रेस परिषद में सम्बद्ध विषय पर बैनर प्रिंट करवाकर लगाए गए।

निबंध लेखन प्रतियोगिता

परिषद में 08 मार्च, 2022 को दोपहर 12:00 बजे "जैंडर इक्वैलिटी फॉर ए सस्टेनेबल टुमॉरो" विषय पर 200-250 शब्दों में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में परिषद के कर्मियों ने भाग लिया और विजेताओं को निम्नानुसार पुरस्कार राशि प्रदान की गई:

प्रथम पुरस्कार - 1,500/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार - 1,200/- रुपये
तृतीय पुरस्कार - 900/- रुपये

स्वच्छता पखवाड़ा, 2022- रिपोर्ट

स्वच्छता पखवाड़ा, 2022 परिषद में 16 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी, 2022 तक मनाया गया। पहले ही तैयार की गई अपनी कार्य योजना के अनुसार परिषद में इस अवसर पर विभिन्न कार्यकलाप किए गए। स्वच्छता पखवाड़ा, 2022 के बैनर भारतीय प्रेस परिषद के परिसर में लगाए गए।

स्वच्छता पखवाड़ा, 2022 के दौरान किये गये कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

18-19 जनवरी, 2022 - पुरानी फाइलें वीडआउट की गईं

परिषद ने रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार पुरानी फाइलों को वीडआउट करना शुरू किया है। सभी अनुभागों को अपनी पुरानी फाइलों को वीडआउट करने का निदेश दिया गया। अनुभागों ने अपनी पुरानी फाइलों को अलग किया जिन्हें वीडआउट किये जाने की आवश्यकता थी।

20 जनवरी, 2022 - ई-वेस्ट/सामान्य वेस्ट का निपटान

परिषद द्वारा ई-कचरे और सामान्य कचरे को अलग-अलग किया गया और जीएफआर के प्रावधान के अनुसार उनके निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई।

21 और 22 जनवरी, 2022 - परिषद के अनुभागों और गलियारों का रखरखाव और कार्यालय का सौंदर्यीकरण।

अनुभागों में कर्मचारियों ने फाइलें और अलमारियां ठीक से व्यवस्थित कीं और अनुभागों के साथ-साथ गलियारों के सौंदर्यीकरण का कार्य कर्मचारियों द्वारा किया गया। परिषद के अवर सचिव

(प्रशासन) और अ.अ. (प्रशासन) ने कार्य योजना के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किए गए क्रियाकलापों के संबंध में सभी अनुभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

25 जनवरी, 2022 - फाइलों का रखरखाव

फाइलों का सही ढंग से रखरखाव करने के सभी अनुभागों को निदेश दिए गए। अनुभागों में पुरानी फाइलों के कवरों को बदलकर नए कवर में रखा गया।

27 जनवरी, 2022 - अनुभागों द्वारा किए गए क्रियाकलापों का वरिष्ठ अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा निरीक्षण।

परिषद के अवर सचिव (प्रशासन) और अ.अ. (प्रशासन) ने कार्य योजना के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किए गये कार्यकलापों के संबंध में सभी अनुभागों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

28 जनवरी, 2022 - निबंध प्रतियोगिता

"कोविड 19 के प्रसार को रोकने के उपाय" विषय पर परिषद के सचिवालय में लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 150-200 शब्द लिखने थे। परिषद के कर्मचारियों ने प्रतियोगिता में

भाग लिया और कर्मचारियों के लेखन की जांच करने और सर्वश्रेष्ठ विजेताओं का चयन करने के लिए अवर सचिव और सहायक निदेशक (राजभाषा) की एक समिति का गठन किया गया। समिति ने तीन विजेताओं का चयन किया और पुरस्कार राशि निम्नानुसार प्रदान की गई:

- प्रथम पुरस्कार - 1,500/- रुपये
- द्वितीय पुरस्कार - 1,200/- रुपये
- तृतीय पुरस्कार - 900/- रुपये

“विश्व रक्तदाता दिवस, 2022” पर रिपोर्ट

14 जून, 2022 को परिषद में विश्व रक्तदाता दिवस, 2022 मनाया गया। पहले तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार परिषद में इस अवसर पर विभिन्न क्रिया-कलाप किये गये। लोगों की जान बचाने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर रक्तदान करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु पीसीआई परिसर में "विश्व रक्तदाता दिवस" संबंधी बैनर लगाए गए।

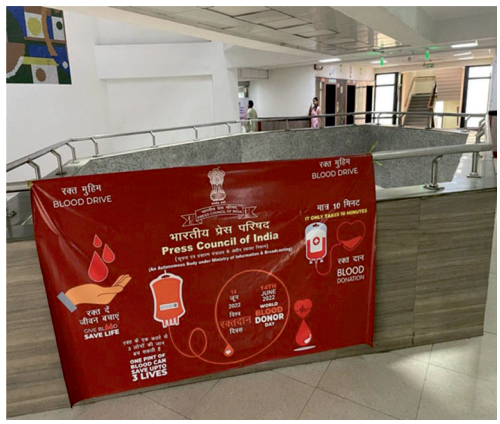

विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर किये गये क्रिया-कलाप इस प्रकार हैं:

शपथ:

विश्व रक्तदाता दिवस, 2022 के अवसर पर, कर्मचारियों ने, नियमित रूप से रक्तदान करने और अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और जनता के बीच नियमित, स्वैच्छिक निःशुल्क रक्तदान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह भी वचन दिया कि जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता होगी, वे बिना किसी लालच के, जाति-धर्म के भेदभाव के बिना अपने खर्च पर रक्तदान करेंगे।

पैम्फलेट का वितरण:

इस अवसर पर, रक्तदान के महत्व को दर्शाने वाले पैम्फलेट भी व्यापक प्रसार के लिए परिषद के सभी कर्मचारियों में बांटे गए। पैम्फलेट का एक नमूना संलग्न है।.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 पर रिपोर्ट

परिषद के सचिवालय में 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सत्र के दौरान आसनों के प्रदर्शन में कर्मचारियों ने काफी उत्साह दिखाया। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए।

परिषद ने कार्य योजना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को निम्नानुसार मनाया:

17.06.2022: निबंध लेखन प्रतियोगिता

परिषद के सचिवालय में 04:00 बजे, "दैनिक जीवन में योग का महत्व" विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परिषद के कर्मचारियों ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं, अर्थात्, प्रथम विजेता को 1,500 रुपये, द्वितीय विजेता को 1,000 रुपये और तीसरे विजेता को 700 रुपये के नकद पुरस्कार दिए गए।

21.06.2022: प्रशिक्षण सत्र

21.06.2022 को पूर्वाहन 11:30 बजे भारतीय प्रेस परिषद के संगोष्ठी कक्ष में एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। परिषद द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक योग प्रशिक्षक को बुलाया गया। प्रशिक्षक ने योग के लाभों के बारे में बताया और सभी कर्मियों ने योग प्रशिक्षक की देखरेख में आसन किए। इसके लिए परिषद के कर्मचारियों को योगा लोगो की टी-शर्ट के साथ योग मैट भी प्रदान किए गए।

सत्र के दौरान ली गई तस्वीरें यहां नीचे दी गई हैं:

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236667
CG-DL-E-17062022-236667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2659] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 17, 2022/ज्येष्ठ 27, 1944
No. 2659] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 17, 2022/JYAISHTHA 27, 1944

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2022

का.आ. 2792(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई का नामनिर्देशन भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. एम-22011/2/2021-प्रेस]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर / 1 / 2022–पीसीआई दिनांकः 18.01.2022

भारतीय प्रेस परिषद ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्यों में विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 तथा प्रदत्त समाचार से संबन्धित पत्रकारिता के आचरण के मानक-2020 का उल्लंघन नहीं करने की मीडिया को दी सलाह ।

भारत में चुनाव हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं और मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह सम्बद्ध समस्त जानकारी लोगों तक पहुंचाए। भारतीय प्रेस परिषद का मीडिया से आग्रह है कि वह चुनाव की कवरेज करते समय निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें:

1. प्रेस का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्याशियों के बारे में निष्पक्ष रिपोर्ट दें। समाचारपत्रों से हितलाभ विरोधी चुनाव अभियानों में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। चुनावों के दौरान किसी प्रत्याशी, दल या घटना के बारे में अतिश्योक्तिपूर्ण रिपोर्टें न दी जाएं। वस्तुतः कड़े मुकाबले वाले दो या तीन प्रत्याशी ही मीडिया का सारा ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक अभियान की रिपोर्ट देते समय समाचारपत्र को किसी प्रत्याशी द्वारा उठाए गए किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए और न ही उसके विरोधी पर कोई प्रहार करना चाहिए।

2. निर्वाचन नियमावली के अंतर्गत सांप्रदायिक अथवा जातीय आधार पर चुनाव अभियान की अनुमति नहीं है। अतः प्रेस को ऐसी रिपोर्टों से दूर रहना चाहिये जिनसे धर्म,जाति,मत, संप्रदाय अथवा भाषा के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाएं पैदा हो सकती हों।

3. प्रेस को किसी प्रत्याशी के चरित्र या आचरण के बारे में या उसकी प्रत्याशिता के संबंध में अथवा किसी प्रत्याशी का नाम अथवा उसकी प्रत्याशिता वापस लिए जाने के बारे में ऐसे झूठे या आलोचनात्मक वक्तव्य छापने से बचना चाहिए जिससे चुनाव में उस प्रत्याशी की संभावनाएं दुष्प्रभावित होती हों | प्रेस किसी भी प्रत्याशी/दल के विरूद्ध अपुष्ट आरोप प्रकाशित नहीं करेगा।

4. प्रेस किसी प्रत्याशी/दल की छवि प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन - वित्तीय या अन्य - स्वीकार नहीं करेगा। वह किसी भी प्रत्याशी/ दल द्वारा उन्हें पेश किया गया आतिथ्य या अन्य सुविधाएं स्वीकार नहीं करेगा।

5. प्रेस से किसी प्रत्याशी/दल-विशेष के प्रचार में शामिल होने की आशा नहीं की जाती। यदि वह करता है तो वह अन्य प्रत्याशी/ दल को उत्तर का अधिकार देगा।

6. प्रेस किसी दल/सत्तासीन सरकार की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खर्चे पर कोई विज्ञापन स्वीकार/प्रकाशित नहीं करेगा।

7. प्रेस निर्वाचन आयोग/निर्वाचन अधिकारियों अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा।

8. चरणबद्ध मतदान होने पर, कोई भी समाचार पत्र मतदान की अंतिम तिथि समाप्त होने तक निर्गम मत सर्वेक्षण, चाहे वे कितने भी सही क्यों न हों, प्रकाशित नहीं करेगा।

9. भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/5/2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के अनुसरण में, प्रिंट मीडिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से पूर्व अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, समाचारपत्र या किसी भी उपकरण के माध्यम से किसी भी निर्वाचन-संबंधी बात को प्रकाशित करना निषेध है।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर / 2 / 2022–पीसीआई दिनांक: 21.01.2022

भारतीय प्रेस परिषद ने विभिन्न राज्यों में राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान प्रदत्त समाचार को लेकर पत्रकारिता के आचरण के मानक - 2020 का पालन करने की प्रिंट मीडिया को दी सलाह

"किसी भी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में दिये जा रहे किसी भी समाचार या विश्लेषण को जिसका मूल्य प्रतिलाभ के रूप में नकद या जिन्स में हो" प्रदत्त (पेड) समाचार कहा जा सकता है।

2. अतः भारतीय प्रेस परिषद ने चुनावों के दौरान प्रदत्त समाचारों का प्रकाशन न करने के लिए प्रिंट मीडिया द्वारा पालन करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं:

(क) समाचारपत्र को किसी नेता का बयान गलत अर्थ में या गलत प्रकाशित नहीं करना चाहिए। संपादकीय में उद्धृत बयानों को सही भावना में दर्शाया जाए जैसे कि उनके द्वारा कहने का प्रयास किया जा रहा था।

(ख) जिन समाचारों के स्तंभों (कॉलम) में किसी राजनीतिक दल विशेष के उम्मीदवार के समर्थकों तथा जातिगत आधार पर मतदाताओं के नाम व्यापक रूप से दर्शाये जाते हैं, इस प्रकार के समाचार प्रकाशित करने से यह सिद्ध होता है कि रिपोर्ट प्रदत्त समाचार है।

(ग) प्रतिस्पर्धी समाचारपत्र में समान विषय वस्तु के साथ प्रकाशित राजनीतिक समाचार प्रदत्त समाचार होने का पूरा-पूरा संकेत है।

(ध) चुनाव के दौरान दो समाचारपत्रों में समान समाचार शब्दशः प्रकाशित होना संयोग नहीं हो सकता है और उससे स्पष्ट होता है कि वे समाचार प्रतिलाभ हेतु प्रकाशित किये गए हैं।

(ड़) कोई समाचार प्रस्तुत करने का ढंग और वह भी किसी एक दल विशेष के पक्ष में हो और किसी दल विशेष के पक्ष में वोट देने की अपील भी की गई हो, तो वह सांकेतिक रूप से प्रदत्त समाचार है।

(च) चुनाव में किसी उम्मीदवार की सफलता दर्शाना जिसे अभी नामांकन भी दर्ज करना हो, सांकेतिक रूप से प्रदत्त समाचार है।

(छ) प्रचार सभाओं पर समाचार रिपोर्टों और फिल्मी स्टार की मौजूदगी के कारण भारी उत्साह को प्रदत्त समाचार नहीं कहा जा सकता है।

(ज़) चुनाव के बारे में समाचार देते समय, समाचारपत्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्ट/ उम्मीदवारों के साक्षात्कार प्रकाशित करने में संतुलन सुनिश्चित करें।

(झ) चुनाव के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन समाचारपत्र उम्मीदवारों या पक्षों की संभावनाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन कर सकते हैं और इसका प्रकाशन प्रदत्त समाचार नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता कि ऐसे प्रकाशन के लिए प्रतिलाभ दिया गया है।

3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/5/2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के अनुसरण में, प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह चुनाव के दौरान प्रदत्त समाचारों पर प्रेस परिषद के उपर्युक्त मानकों का पालन करने हेतु ध्यान दे।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर / 3 / 2022–पीसीआई दिनांक : 03.02.2022

भारतीय प्रेस परिषद ने मीडिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन नहीं करने की दी सलाह

विभिन्न राज्यों में आगामी राज्य विधान सभा चुनावों के मद्देनजर, भारतीय प्रेस परिषद, प्रिंट मीडिया को ऐसे लेखों को प्रकाशित न करने की सलाह देती है जो, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के तहत प्रतिषिद्ध अवधि के दौरान, किसी भी तरह से चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करें ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

परिषद का विचार है कि प्रतिषिद्ध अवधि के दौरान ज्योतिषियों, टैरो रीडर्स, राजनीतिक विश्लेषकों या किसी भी व्यक्ति द्वारा भविष्यवाणियों आदि के माध्यम से चुनावों के परिणामों का किसी भी प्रकार या तरीके से पूर्वानुमान लगाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की भावना का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक दलों की संभावनाओं के बारे में इस तरह की भविष्यवाणियों से ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें मतदान होना है, के मतदाताओं के मतदान को प्रभावित होने से रोकना है।

एतद्वारा, प्रिंट मीडिया को सलाह दी जाती है कि गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य विधानसभा चुनाव (10 फरवरी, 2022 (गुरुवार) को पूर्वाहन 7:00 बजे से 07 मार्च, 2022 (सोमवार) को सांय 6:30 बजे की प्रतिषिद्ध अवधि के दौरान) परिणामों के प्रसार से संबंधित लेखों को प्रकाशित/प्रचारित न करें ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर / 4 / 2022–पीसीआई दिनांकित 06.04.2022

भारतीय प्रेस परिषद ने प्रिंट मीडिया को डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 37/2022 के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निदेश का पालन करने की दी सलाह।

माननीय न्यायिक उच्च न्यायालय, राजस्थान पीठ, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 29-03-2022 में डी.बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 37/2022, "श्री सत्यनारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य" में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निदेश पारित किए हैं:

"न्यायालय ने गौर किया है कि प्रेस में मामले को उजागर किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लड़कियों का पता लगाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसलिए, इस विशेष मामले के लिए हम यह उचित समझते हैं कि इस मामले की छानबीन से जुड़े किसी मामले या न्यायालय की कार्यवाही के बारे में रिपोर्टिंग करते समय प्रेस और प्रिंट मीडिया संयम बरतें।

मीडिया को सलाह दी जाती है कि वह उपर्युक्त निदेशों पर ध्यान दें।

****

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA
सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
Soochna Bhawan, 8, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003
☎24366745-46-47-49 / 24366403-04-05-25 फैक्स Fax : विस्तार Extn. 224
ई-मेल *E-Mail :* pcibpp@gmail.com वेबसाइट *Website :* www.presscouncil.nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

पीआर / 5 / 2022–पीसीआई दिनांक : 20.06.2022

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया

भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 29.10.2014 को सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने दिनांक 17 जून, 2022 की राजपत्र असाधारण अधिसूचना के जरिये भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। समिति, जिसमें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष और प्रेस परिषद द्वारा नामित श्री प्रकाश दुबे जी शामिल हैं, द्वारा नामित किए जाने पर उन्हें नियुक्त किया गया है। माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को 1996 से बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने के बाद 13.09.2011 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने 1 दिसंबर 2014 को नई दिल्ली में विद्युत अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और 30 नवम्बर, 2017 तक इसी पद पर कार्य करती रहीं। उन्हें 2018 में एडवांस रूलिंग प्राधिकरण [आयकर] के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और वे 29 अक्टूबर 2019 तक इस पद पर रहीं। उन्होंने, लोकपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद के लिए नामों की संस्तुति करने के लिए खोज समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 6 मार्च 2020 को भारतीय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

परिषद प्रेस की आज़ादी एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रयास करेगी। ऐसा करते समय, परिषद संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।

****

रजि.सं. 72127/99

प्रपत्र IV
प्रेस परिषद समीक्षा
का विवरण

1.	प्रकाशन का स्थान	नई दिल्ली
2.	आवधिकता	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	अनुपमा भटनागर
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	सचिव, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
4.	प्रकाशक का नाम	अनुपमा भटनागर
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	सचिव, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
5.	संपादक का नाम	अनुपमा भटनागर
	राष्ट्रीयता	भारतीय
	पता	सचिव, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
6.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जोकि समाचारपत्र के स्वामी और भागीदार हैं अथवा कुल पूंजी का एक प्रतिशत से अधिक रखने वाले शेयरधारी हैं	भारतीय प्रेस परिषद, सूचना भवन, 8, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 संसद के अधिनियम द्वारा गठित स्वायत निकाय

मैं अनुपमा भटनागर, घोषणा करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है :

नई दिल्ली
दिनांक 10.02.2023

ह0/–
अनुपमा भटनागर
भारतीय प्रेस परिषद

''भारतीय प्रेस परिषद'' सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली,
की ओर से सचिव, श्रीमती अनुपमा भटनागर द्वारा मुद्रित, प्रकाशित तथा संपादित।
दूरभाष : 24368726, 24366404 (एक्सटैंशन 321 और 221) ई–मेल : secy-pci@nic.in
मुद्रण : चंदू प्रेस, 469 पटपड़गंज, इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली–110092
नि : शुल्क वितरण